प्रेस नोट संख्या 59

दिनांक- 29.05.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं 50,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **operation conviction** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0194/2019 धारा 302/323/504 भादवि थाना शिवरतनगंज के अभियुक्तगण 1- मुनव्वर अली पुत्र गफ्फार अली निवासी गोयन 2-अब्दुल अजीज पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी पूरे मोहनी मजरे बसन्तपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-द्वितीय रायबरेली द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 29.05.2024 को धारा-302 भादवि में आजीवन कारावास, 50,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास एवं धारा-323 भादवि में 06 माह कारावास एवं धारा 504 भादवि मे उक्त अभि0 मुनव्वर अली को दोष मुक्त किया गया एवं उक्त अभि0 अब्दुल अजीज को धारा 302/120 बी भादवि मे दोष मुक्त किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 04.10.2019 समय 14.10 बजे अभियुक्तगण 1- मुनव्वर अली पुत्र गफ्फार अली निवासी गोयन 2-अब्दुल अजीज पुत्र दोस्त मोहम्मद निवासी पूरे मोहनी मजरे बसन्तपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी द्वारा वादी के पिता व माता को षड़यत्र करके चाकु से मारकर हत्या करना व वादी को गाली गलौज देते हुए मारने के लिए दौड़ा लेने की तहरीर सूचना पर मु0अ0सं0 194/2019 धारा 302/120बी/307/352/504 भादवि थाना शिवरतनगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक थानाध्यक्ष श्री भरत उपाध्याय द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-141 दिनांक 02.12.2019 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।